राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	4720 / 2022	घनश्याम मीना	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली। 4. ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, सपोटरा, जिला करौली। 5. पीईईओ एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुडगांव (सपोटरा) करौली।
2.	4721 / 2022	ऋषभ कुमार मण्डल	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली। 4. ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, सपोटरा, जिला करौली। 5. पीईईओ एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहमदपुर (सपोटरा) करौली।

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीना अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 4720 / 2022 घनश्याम मीना की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त शीर्षक टेबिल में अंकित अपील को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, नयावास (कुडगांव) करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के राजकीय प्राथमिक भुत्यापुरा में पदस्थापन के दौरान दिनांक 26.01.2020 को गणतंत्र दिवस समारोह में अपीलार्थी से गाली गलोज की तथा जान से मारने की धमकी दी गई, इस पर अपीलार्थी ने सपोटरा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28 / 2020 दर्ज करायी (अनुलग्नक–4 एवं

5)। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 27.01.2020 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सुरक्षा एवं न्याय दिलाने की मांग की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2020 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टोडा (मण्डरायल) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.01.2020 की जांच पूर्ण होने तक लगाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.02.2020 द्वारा स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी को पुनः राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भुत्यापुरा, सपोटरा में लगाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.03.2020 (अनुलग्नक–9) के द्वारा जांच पूर्ण होने तक अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, कुडगांव लगाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.08.2022 (अनुलग्नक–10) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, नयावांस कुडगांव से पीईईओ कार्यालय इनायती में उपस्थिति दिए जाने के निर्देश दिए गए। प्रत्यर्थी संख्या–5 के पत्र दिनांक 13.05.2022 (अनुलग्नक–11) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–4 को लिखा जाकर अपीलार्थीगण को अस्थाई रूप में लगा रखा है, को अन्यत्र पदस्थापित करने का श्रम करे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.08.2022 (अनुलग्नक–12) द्वारा अपीलार्थी को अग्रिम आदेशों तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, नयावांस (कुडगांव) में लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, नयावास (कुडगांव) करौली से पीईईओ इनायती में एक माह की अवधि में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए, जबकि अपीलार्थी द्वारा जान–माल की सुरक्षा खतरे में होने पर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था। अपीलार्थी का इनायती में स्थानान्तरण किए जाने से अपीलार्थी को जान–माल का खतरा उत्पन्न हो गया, जबकि आस–पास में अध्यापक ग्रेड–III के कई पद रिक्त है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, नयावास (कुडगांव) करौली में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। आलोच्य आदेश से अपीलार्थी को उनको कार्यव्यवस्थार्थ लगाये गए स्थान से मूल पदस्थापन स्थान पर लगाये जाने के आदेश किए गए है। अपीलार्थी का मूल पदस्थापन स्थान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भूत्या का पुरा है। स्थानीय स्थल पर लडाई झगडा, जान माल की सुरक्षा के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के

अनुरोध पर इसका कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुर्जर बस्ती, (नयावास) कुडगांव में किया गया था। अतः आलोच्य आदेश से इनका कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन समाप्त किया जाकर मूलपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा मूल पदस्थापन स्थल के बजाय कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थल पर यथावत कार्य करने के लिए आदेशित किए जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में स्थानीय रूप से लडाई झगडा होने, जान माल की सुरक्षा की स्थिति होने तथा उक्त अध्यापक के अन्यत्र कार्यव्यवस्थार्थ अन्य विद्यालय में लगाये जाने के कारण मूल पदस्थापन स्थल के विद्यालय में शिक्षण कार्य अव्यवस्थित होने के तथ्य विद्यमान होने की स्थिति है। वस्तुतः प्रकरण में विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों के क्रम में गुणावगुण के आधार पर निर्णय नहीं किया गया है, जो प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है। अतः प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या–2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि प्रकरण के समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाकर समुचित आदेश जारी किए जावे। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही इस आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम एक माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित की जावे।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 4720/2022 में तथा सत्य प्रतिलिपि शीर्षक टेबिल में अंकित अन्य अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)